



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]
No. 200]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2003/वैशाख 5, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2003/VAISAKHA 5, 1925

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2003

आरबीई सं. 69/2003

सा.का.नि. 357(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 में संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों को रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2003 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997, की प्रथम अनुसूची के नोट 5 के नीचे, नोट 6 को नीचे लिखे अनुसार अंतर्दिष्ट किया जाए :—

“(6) रेलों के लेखा विभाग को छोड़कर सभी संगठित सेवाओं के ग्रुप “बी” अधिकारियों के मामले में, संशोधित वेतनमान एस-14(7500-12000 रु.) नामसूची में शामिल ग्रुप “बी” अधिकारियों की कुल संख्या के 20% तक लागू किया जाएगा, जिनमें ग्रुप “बी” के वे अधिकारी भी शामिल होंगे जो तदर्थ आधार पर 10000-15200 रु. के वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से पहले से कार्य कर रहे हैं। संशोधित वेतनमान एस-15(8000-13500 रु.) नामसूची में शामिल ग्रुप “बी” अधिकारियों के 80% तक लागू किया जाएगा, जिनमें तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे ग्रुप “बी” अधिकारी भी शामिल हैं। 8000-13500 रु. के ग्रेड वाले पदों को 7500-12000 रु. वाले ग्रेड के ग्रुप “बी” के उन अधिकारियों में से भरा जाएगा जिनकी ग्रुप “बी” में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी होगी। इस प्रयोजन के लिए, वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे ग्रुप “बी” अधिकारियों को भी कल्पित रूप से 8000-13500 रु. के ग्रेड में रखा जाएगा और साथ ही वे वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहेंगे, प्रारंभिक तौर पर 8000-13500/-रु. के वेतनमान में रखे जाने वाले पदों की संख्या का निर्धारण इस अधिसूचना की तारीख को नामसूची में शामिल ग्रुप “बी” के अधिकारियों, जिसमें तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न ग्रुप “बी” के अधिकारी सम्मिलित हैं, के आधार पर किया जाएगा और वर्ष 2004 एवं बाद के वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी एवं 1 जुलाई पदों की संख्या के निर्धारण के आधार होंगे।”

व्याख्यात्मक ज्ञापन

रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2003, सभी अन्य संगठित रेलवे सेवाओं को पाँचवे वेतन आयोग द्वारा रेलों के लेखा विभाग की ग्रुप “बी” सेवा के वेतनमान में दिये गये सिफारिशों के फायदों को देने के लिए बनाए गये हैं।

[क्रम सं. पीसी-V/367/सं. पीसी-V/97/आई/ईसी/1(ग्रुप “बी”)]

आर. आर. जारुहार, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th April, 2003

RBE No. 69/2003

G.S.R. 357(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules in Amendment to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 namely :—

1. (1) This rules may be called Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2003.
(2) They shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.
2. Below Note 5 in the First Schedule to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997, Note 6 may be inserted as under :—

“ (6) In the case of Group ‘B’ officers of all Organized Services other than Accounts Department of the Railways, the revised scale S-14 (Rs. 7500-12000) will be operated to the extent of 20% of the total number of Group ‘B’ officers on roll, including the group ‘B’ officers already officiating in senior scale of Rs. 10000-15200 on ad-hoc basis. The revised scale S-15 (Rs. 8000-13500) will be operated to the extent of 80% of the Group ‘B’ officers on roll including the Group ‘B’ officers officiating in senior scale on ad-hoc basis. The posts in the grade Rs. 8000-13500 will be filled from amongst Group ‘B’ officers in the grade Rs. 7500-12000 with a minimum of three years of regular service in group ‘B’. For this purpose, the Group ‘B’ officers officiating in senior scale on ad-hoc basis will also be notionally placed in the grade Rs. 8000-13500 while continuing to officiate in senior scale. The number of posts to be operated in the scale Rs. 8000-13500 will be determined in reference to the group ‘B’ officers on roll including Group ‘B’ officers officiating in senior scale on ad-hoc basis as on the date of this notification for the purpose of placement in the grade Rs. 8000-13500 initially, and as on 1st January and 1st July of each year for the year 2004 and subsequent years.”

Explanatory Memorandum

The Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2003 have been made to extend the benefit of the recommendations made by the Fifth Central Pay Commission, with respect to pay scales of Group ‘B’ Service of Accounts Department in the Railways, to all other Organized Railway Services.

[S.No. PC-V/367 No. PC-V/97/1/EC/1(Gp.“B”)]

R. R. JARUHAR, Secy.